TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRA ORDINARY SECTION 3, SUB SECTION (ii)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
*****

New Delhi, the 8th May, 1998

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O._____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962, in Form No.2,-

(a) in PART-II relating to STATEMENT OF INCOME, -

(i) under the head "C. PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION", -

(A) in the opening portion,-

(I) for the words and figures "items 3 to 19" the words and figures "items 3 to 20" shall be substituted;

(II) after the words, figures and letters "or section 44AE" the words, figures and letters "or section 44AF" shall be inserted;

(B) in the heading occurring above item 17, for word, figures and letters "sections 44AD & 44AE", the words, figures and letters "sections 44AD, 44AE and 44AF" shall be substituted;

(C) for item 19 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"19. In case you were engaged in the business of retail trade in any goods or merchandise, the total turnover on account of which did not exceed forty lakh rupees, please furnish the following information for the purposes of section 44AF:

(i) Total turnover on account of such business: Rs._____
(ii) Profits of such business included in item 3: Rs._____
(iii)Item (ii) as a percentage of Item (i) above: _____%

20. Whether the income shown at item numbers 17, 18 and 19 is less than the amounts specified under sections 44AD or 44AE or 44AF respectively?

(a) Income at item no.17 (section 44AD): *Yes/No
(b) Income at item no.18 (section 44AE): *Yes/No
(c) Income at item no.19 (section 44AF): *Yes/No
**Delete whichever is not applicable.*";

(ii) under the head "D. CAPITAL GAINS", for items 20, 21 and 22 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"20. Less: exemption under sections 53/54/54B/54D/54E/54EA/54EB/54F/54G (Attach proof of deposit, if any.)	Rs.____	Rs.____	Rs._____
21. Balance (19-20)	Rs.____	Rs.____	Rs._____
22. Add: amount deemed to be capital gain under sections 54B/54D/54E/54EA/54EB/54F/54G			Rs.____";

(iii) under the head "I. STATEMENT OF TOTAL INCOME", for item 7 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"7. Less: deductions under Chapter VI-A

Sections	Code	Amount (Rs.)	Sections	Code	Amount (Rs.)
80CCC	235		80I*	251	
80D	236		80IA*	292	
80DD	237		80J	254	
80DDA	238		80JJ	253	
80DDB*	240		80L	260	
80E	239		80O	296	
80G	242		80P	287	
80GG	243		80Q	297	
80GGA	248		80QQA	276	
80HH*	244		80R	277	
80HHA*	245		80RR	278	
80HHB*	246		80RRA	281	
80HHC*	247		80U	293	
80HHD*	255		80V	294	
80HHE*	291		TOTAL		

* Attach report/certificate as prescribed under the section ";

(b) in PART-IV relating to INFORMATION RELEVANT TO BUSINESS OR PROFESSION, for item 7, the following shall be substituted, namely:-

" 7. Deductions claimed under Chapter IV

Sections	Code	Amount (Rs.)	Sections	Code	Amount (Rs.)
32(1)	430		35AC	439	
32(2)	432		35CCA	440	
32A	433		35CCB	441	
32AB	434		36(1)(vii)	445	
35(1)	435		37(2)	447	
35(2AA)	436		37(3)	448	
35ABB	449				

(D. KARUNAKARA RAO)
Under Secretary to the Govt. of India

F.No.142/9/98-TPL
No. 10585

Note: The Principal rules were published vide Notification being S.O. 969 dated

भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 8 मई 1998,

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. - (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (छठवां संशोधन) नियम, 1998 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में परिशिष्ट II के प्रपत्र सं.2 में -

(क) भाग II में आय का विवरण से संबंधित -

(1) "व कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन, -

(अ) आर्थिक धारा में -

(II) "मद 3 से मद 19 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "मद 3 से मद 20 तक" रखे जाएंगे ;

(III) "या धारा 44 कङ" शब्दों अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या धारा 44कघ"" अन्त:स्थापित किया जाएगा ;

(आ) मद 17 से ऊपर आने वाले शीर्षक में "धारा 44 कच और धारा 44 कङ·" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 44 कघ, धारा 44 कङ· और धारा 44 कच रखे जाएंगे

(इ) मद 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

19· यदि आप किसी ऐसे माल या वाणिज्य में छूटकर व्यापार के कारबार में लगे हुए थे जिसके मद्दे कुल आवर्त चालीस लाख से अधिक की नहीं हुई तो कृपया धारा 44 कच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सूचना दें:

(I) ऐसे कारबार के मद्दे कुल आवर्त : ----------रु·

(II) मद 3 में सम्मिलित किए गए ऐसे कारबार का लाभ: ----------रु·

(III) ऊपर मद (I) के प्रतिशत के रूप में मद (II):

----------रु· /

20. कथा मद संख्यांक 17, 18 और 19 पर दर्शित आय क्रमश: धारा 44 कघ या धारा 44 कक.(घ) धारा 44 कच के अधीन विनिर्दिष्ट रकमों से कम है'

(क) मद सं. 17 पर आय (धारा 44 कघ) : * हाँ/नहीं

(ख) मद सं. 18 पर आय (धारा 44 कक.) : * हाँ/नहीं

(ग) मद सं. 19 पर आय (धारा 44 कच) : * हाँ/नहीं

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए। " ;

(11) "घ. पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन मद 20, मद 21, और मद 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

"20. घटाइए: धारा 53/54/54ख/54घ/54क./54क.क/54क.ख/54च/54छ के अधीन छूट (विशेष का सबूत संलग्न कीजिए, यदि कोई हो.)	----रु.	---- रु.	----रु.
21. बाकी (19-20)	----रु.	----रु.	----रु.
. जोड़िए: धारा 54ख/54घ/54क./54क.क/54क.ख/54च/54छ के अधीन पूंजी अभिलाभ गई रकम रकम		----------रु. "	

[illegible] "ख. कुल आय का विवरण" शीर्ष के अधीन मद 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

"7. घटाइए: अध्याय 6. क के अधीन कटौतियाँ

धाराएँ	कोड	रकम (रु.)	धाराएँ	कोड	रकम (रु.)
80 [illegible]	235		80 [illegible]	251	
80 [illegible]	236		80 [illegible]	292	
80 [illegible]	237		80 [illegible]	254	
80 [illegible]	238		80 [illegible]	253	
80 [illegible]	240		80 [illegible]	260	
80 [illegible]	239		80 [illegible]	296	
80 [illegible]	242		80 [illegible]	287	
80 [illegible]	243		80 [illegible]	297	
80 [illegible]	248		80 [illegible]	276	
80 [illegible]	244		80 [illegible]	277	
80 [illegible]	245		80 [illegible]	278	
80 [illegible]	246		80 [illegible]	281	
80 [illegible]	247		80 [illegible]	293	
80 [illegible]	255		80 [illegible]	294	
80 [illegible]	291		योग		

(ख) भाग - IV में कारबार या वृत्ति के लिए सुसंगत सूचना से संबंधित मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

"7. अध्याय 4 के अधीन दावा की गई कटौतियाँ

धाराएँ	कोड	रकम (रु.)	धाराएँ	कोड	रकम (रु.)
32(1)	430		35 कग	439	
32(2)	432		35 गगक	440	
32ण	433		35 गगख	441	
32 क ख	434		36(1)(vii)	445	
35(1)	435		37(2)	447	
35(2कक)	436		37(3)	448	
35 कखख	~~439~~ 449				

के. करुणाकर राव

(डी. करुणाकर राव)

अवर सचिव, भारत सरकार

पत्र सं. 142/9/98-टी पी एस

10585